| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com |

| Volume 3, Issue 3, March 2020 |

विद्यालय में अपराध को कैसे कम करें

डॉ० राम सरदार

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक-शिक्षा विभाग, का. सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या (उ.प्र.)

सार

बाल अपराध के स्वरूप को हम उन अपराधों से सरलतापूर्वक समझ सकते हैं, जिनको बालक या किशोर करते हैं। इस प्रकार के कुछ अपराध हैं - चोरी करना, झूठ बोलना, नशा करना, जेब काटना, झगड़ा करना, चुनौती देना, सिगरेट पीना, व्यभिचार करना, तोड़-फोड़ करना, दूसरों पर आक्रमण करना, विद्यालय से भाग जाना, अपराधियों के साथ रहना, कक्षा में देर से आना, छोटे बालकों को तंग करना, बड़ों के विरुद्ध विद्रोह करना, दिन और रात में निरुद्देश्य घूमना, बस और रेल में बिना टिकट यात्रा करना, दीवारों पर उचित या अनुचित बातें लिखना, जुए के अड्डों और शराबखानों में आना-जाना, चोरों, डाकुओं, आवारा, बदचलन और दुष्ट व्यक्तियों से मिलना-जुलना, माता-पिता की आज्ञा के बिना घर से गायब हो जाना, सड़क 'पर चलते समय उस पर चलने के नियमों का पालन न करना, किसी की खड़ी हुई मोटरकार में बैठकर सैर के लिए चल देना आदि-आदि। **मेडिनस व जॉन्सन** का मत है - "सामाजिक समस्या के रूप में बाल अपराध में वृद्धि होती हुई जान पड़ती है। यह वृद्धि कुछ तो जनसंख्या की सामान्य वृद्धि के परिणामस्वरूप और कुछ जनसंख्या के अधिक भाग के ग्रामीण वातावरण के बजाय शहरी वातावरण में रहने के परिणामस्वरूप हो रही है।"

जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के अनुसर 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध है।

केवल आयु ही बाल अपराध को निर्धारित नहीं करती वरन् इसमें अपराध की गंभीरता भी महत्वपूर्ण पक्ष है। 7 से 16 वर्ष का लड़का तथा 7 से 18 वर्ष की लड़की द्वारा कोई भी ऐसा अपराध न किया गया हो जिसके लिए राज्य मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास देता है जैसे हत्या, देशद्रोह, घातक आक्रमण आदि तो वह बाल अपराधी मानी जायेगा।

परिचय

बालक के शारीरिक दोष उसके तिरस्कार के कारण बनते हैं। इस तिरस्कार से उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचती है। फलस्वरूप, वह तिरस्कार का बदला लेने के लिए दूसरों को कष्ट देने और सताने का अपराध करने लगता है। **क्लिफोर्ड मैमसैट** ने इसका एक उदाहरण दिया है। एक बालक की आँखें कमजोर थीं और वह पढ़ नहीं सकता था। दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। इससे उसके आत्म-सम्मान को चोट लगती थी। अतः उसने चश्मा लगाने वाले लड़कों के चश्मे चुराने आरम्भ कर दिये। पहले तो उसने ऐसा उनको तंग करने के लिये किया, पर धीरे-धीरे उसकी चोरी करने की आदत पड़ गई। यदि बालकों को अपना अवकाश बिताने के लिए मनोरंजन या खेल के उचित साधन प्राप्त नहीं हैं, तो उनका अनुचित दिशा में जाना स्वाभाविक होता है। **बोगोट** ने अपने अध्ययनों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि बाल अपराध अधिकतर या तो शनिवार और रविवार को होते हैं या 4-5 बजे के बीच में होते हैं। प्राय: इस समय बालक खाली रहते हैं।[1,2]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com |

| Volume 3, Issue 3, March 2020 |

हमारे देश में ऐसे अनेक विद्यालय हैं, जो नगर के दूषित और कोलाहलपूर्ण भागों में स्थित हैं। बालक वहाँ जाते हुए प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के अमानवीय कृत्य देखते हैं। कुछ बालक उनसे प्रभावित होकर उनको अपने जीवन का अंग बना लेते हैं।

भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनोदिन बढ़ती जा रही है, साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। वैयक्तिक स्वंतत्रता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैं, इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन को पैदा किया है। कम्प्युटर और इंटरनेट की उपलब्धता ने इन्हें समाज से अलग कर दिया है। फलस्वरूप वे अवसाद के शिकार होकर अपराधां में लिप्त हो रहे हैं।

सन् 2000 के आँकड़ों के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कुल 9,267 मामले पंजीकृत किये गये तथा स्थानीय एवं विशेष कानून के अन्तर्गत 5,154 मामले पंजीकृत किये गये। बाल अपराध की दर में विभिन्न वर्षो में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। 1997 में बालकों में अपराध की दर 0.8 प्रतिशत थी, वही बढ़कर सन् 1998 में 1,0 प्रतिशत था इसके पश्चात् सन 1999-200 मे 0.9 प्रतिशत रही।

बालकों द्वारा किये गये अपराधों मे से भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत सबसे अधिक सम्पत्ति सम्बन्धी थे। सन् 2000 में दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराधों में से चोरी (2,385), लूटमार (1,497) तथा सेंधमारी (1,241) के मामले पाये गये, इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न के (51.9), डकैती के (32 प्रतिशत), हत्या के (28.6 प्रतिशत), बलात्कार के (24.5 प्रतिशत) मामले पाये गये।[3,4]

भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत बाल अपराध की सर्वाधिक दर मध्यप्रदेश में 2,681 और महाराष्ट्र में (1,641) पायी गयी। इसी प्रकार महानगरों जैसे बम्बई, दिल्ली में भी बाल अपराध की उच्च दर पायी गयी।

विचार – विमर्श

आजकल के विद्यालय, शिक्षा की दुकानें हो गई हैं, जिनमें धन प्राप्त करने के लिए संख्या की ओर ध्यान दिये बिना बालकों को भर लिया जाता है। ऐसे विद्यालयों में बालकों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। फलस्वरूप वे अपनी इच्छानुसार कहीं भी घूमने के लिए या सिनेमा देखने के लिये जा सकते हैं। इस प्रकार के बालक क्रमश: बाल-अपराध के मार्ग को ग्रहण करते हैं।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com |

| Volume 3, Issue 3, March 2020 |

इस समय भारतीय नेताओं को शिक्षा का प्रसार करने की धुन सवार है। अतः विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के समय इस बात पर रंचमात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि उनके पास बालकों के लिए खेल का पर्याप्त स्थान है या नहीं। विद्यालय भी खेल पर धन व्यय करना मूर्खता समझते हैं। खेल की व्यवस्था न होने के कारण बालकों के अनेक संवेग दमित अवस्था में पड़े रहते हैं, जो उभरने पर अति घातक सिद्ध होते हैं। वे बालकों को न केवल असमायोजित कर देते हैं, वरन् उनको विविध प्रकार के अपराध करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। हमारे विद्यालयों के छात्रों की परीक्षा लेने के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, उसमें कितने ही दोष हैं। यह प्रणाली मुख्य रूप से बालकों को परीक्षा भवनों में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का अवसर देती है। यदि उनको ऐसा करने से रोका जाता है, तो वे मार-पीट, यहाँ तक कि हत्या भी कर देते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ बालक ऐसे भी होते हैं, जो परीक्षा में असफल होने के कारण घर से भाग जाते हैं - या आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि हमारी परीक्षा प्रणाली, बाल अपराधों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। **एच. जी. वेल्स** ने व्यक्तिगत स्कूलों के बारे में लिखा है - "यदि आप इस बात का अनुभव करना चाहते हैं कि पीढ़ियों के बाद पीढ़ियाँ किस प्रकार पहाड़ी नदियों के वेग से विनाश की ओर बढ़ रही हैं, तो आप किसी प्राइवेट स्कूल को ध्यान से देखिए।" ये स्कूल, बालकों के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएँ नहीं जुटाते हैं। फलतः अनेक बालकों का विकास विकृत रूप धारण कर लेता है और वे पक्के बाल अपराधी बन जाते है।[5,6]

परिणाम

प्रहसन की पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य - बालकों का मनोरंजन करना है। इन पुस्तकों की विषय-सामग्री काल्पनिक होने के अलावा आक्रमणकारी और उत्तेजित करने वाली घटनाओं पर आधारित होती है। इसलिए, जैसा कि **मैडीनस एवं जानसन** ने लिखा है - कैलीफोर्निया राज्य की धारासभा ने अपनी एक रिपोर्ट में तर्क प्रस्तुत किये हैं कि बाल अपराधों का कारण बालकों द्वारा प्रहसन की पुस्तकों का पढ़ा जाना है। सस्ते उपन्यासों और पत्रिकाओं का मुख्य विषय युवकों और युवतियों का यौन सम्बन्ध पर आधारित प्रेम होता है। अतः **हीली और ब्रूनर** ने उनको बाल अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया। **ब्लूमर एवं हौजर** ने लिखा है कि चलचित्र - धन प्राप्त करने की अनुचित विधियों का सुझाव देकर, कामवासनाओं को भड़का कर और कुत्सित कार्यों को प्रदर्शित करके बाल अपराधों में अतिशय योग देते हैं। **ब्लूमर** ने लिखा है - "सन् 1933 में इलिनौस नगर में **"The Wild Boys of the Road"** नामक चलचित्र के प्रदर्शित होने के एक मास के अन्दर ही 14 बच्चे घर से भाग गये। इनमें एक 15 वर्ष की लड़की थी, जो बिल्कुल उसी प्रकार के वस्त्र पहने हुए थी, जैसे उस चलचित्र की प्रमुख नायिका ने पहन रखे थे।"

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com |

| Volume 3, Issue 3, March 2020 |

टेलीविजन के सम्बन्ध में अब तक तीन विस्तृत अध्ययन हुए हैं- 1958 में इंगलैंड में, 1961 में अमरीका में और 1962 में जापान में। इन अध्ययनों के आधार पर इसको बाल-अपराधों के लिए चलचित्र से अधिक दोषी ठहराया गया है। **बैना, मैडीनस एवं जानसन** का विचार है - "मैं विश्वास करता हूँ कि तरुण और परेशान किशोरों के लिए टेलीविजन, बाल अपराध का प्रारम्भिक प्रशिक्षण केन्द्र है।" आधुनिक युग में हमारे जीवन के समान हमारी संस्कृति भी कृत्रिम हो गई है। उसके अर्थ और महत्व का लोप हो गया है। वह वयस्कों, किशोरों और बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल हो रही है। अतः बालक और किशोर उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद करके समाज-विरोधी कार्यों संलग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। **मेडिनस व जान्सन** के शब्दों में - "बीटनिक और हिपी आन्दोलन, सम्बन्ध विच्छेद का अधिक पूर्ण रूप व्यक्त करता है।"[7,8]

निष्कर्ष

बाल अपराध के निवारण, निरोध या रोकने के लिए परिवार, विद्यालय, समाज और राज्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। परिवार में बालकों के अध्ययन के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस उद्देश्य से उनके लिए शान्त और एकान्त स्थान सुरक्षित होना चाहिए। ऐसे स्थान में अध्ययन करके उनके मस्तिष्क का क्रमिक विकास होता चला जाएगा, जो उनको बाल-अपराध की हानियों से अवगत करायेगा। विद्यालय को बालकों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और संवेगात्मक विकास करने के लिए उत्तम वातावरण का निर्माण करना चाहिए। विद्यालय में सभी प्रकार की बालोपयोगी पुस्तकों से सुसज्जित अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए। साथ ही, बालकों को पुस्तकालय का सदुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

विद्यालयों में नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों में अग्रांकित विशेषताएँ होनी चाहिए-

1. उनको बाल मनोविज्ञान का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ताकि उनको बालकों की रुचियों, इच्छाओं और अभिवृत्तियों को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
2. उनको बालकों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए।
3. उनको बालकों का मित्र, सहायक और पथ-प्रदर्शक होना चाहिए।
4. उनको नवीनतम शिक्षण विधियों और शिक्षण के उपकरणों के प्रयोग में कुशल होना चाहिए।
5. उनको बालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com |

| Volume 3, Issue 3, March 2020 |

मनौवैज्ञानिक साधनों से संवेगात्मक और व्यक्तित्व संबधी समस्याओं का निदान करती है, यह बाल अपराधी के विगत जीवन में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विषय में भावनाओं ओर अभिधारणाओं को बदलकर उपचार करती हैं। जब बच्चें के संबध प्रारम्भिक अवस्था में अपने माँ-बाप से अच्छे नहीं होते, तो उसका संवेगात्मक विकास अवरूद्ध हो जाता है, परिणामस्वरूप अपने परिवार के भीतर ही सामन्य तरीकों से संतुष्ट न होकर वह अपनी बाल आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के प्रयत्न में अक्सर आवेगी हो जाता है। इन आकांक्षाओंएवं आवेगों की संतुष्टि असामाजिक व्यवहार का रूप धारण कर सकती है। मनोचिकित्सा के माध्यमसे अपराधी को चिकित्सक द्वारा स्नेह और स्वीकृति के वातावरण में विचरण करने ि दया जाता है।[9,10]

बाल अपराधियों को विशेष सुविधा देने ओर न्याय की उचित प्रणाली अपनाने के लिये बाल-अधिनियम और सुधारालय अधिनियम बनाए गए है। भारत मे बच्चों की सुरक्षा के लिए 20वीं सदी की दूसरी दशाब्दी में कई कानून बनें सन् 1860 में भारतीय दण्ड संहिता के भाग 399 व 562 में बाल अपराधियों को जेल के स्थान पर रिफोमेट्रीज में भेजने का प्रावधान किया गया। दण्ड विधान के इतिहास में पहली बार यह स्वीकार किया कि बच्चों को दण्ड देने के बजाच उनमें सुधार किया जाए एवं उन्हें युवा अपराधियों से पृथक रखा जाए।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com |

| Volume 3, Issue 3, March 2020 |

संपूर्ण भारत के लिए सन् 1876 में सुधारालय स्कूल अधिनियम बना जिसमें 1897 में संशोधन किया गया, यह अधिनियम भारत के अन्य स्थानों पर 15 एवं बम्बई में 16 वर्ष के बच्चों पर लागू होता था, इस कानून में बाल-अपराधियों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने की बात भी कही गयी थी, अखिल भारतीय स्तर के स्थान पर अलग-अलग प्रान्तों मे बाल अधिनियम बने, सन् 1920 में मद्रास, बंगाल, बम्बई, दिल्ली, पंजाब में एवं 1949 में उत्तरप्रदेश मै और 1970 में राजस्थान मे बाल अधिनियम बने, बाल अधिनियमों में समाज विरोधी व्यवहार व्यक्त करने वाले बालकों को प्रशिक्षण देने तथा कुप्रभाव से बचाने के प्रयास किये गए, उनके लिये दण्ड के स्थानपर सुधार को स्वीकार किया गया। 1986 में बाल न्याय अधिनियम पारित किया गया जिसमें सारे देश में एक समान बाल अधिनियम लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष की आयु से कम के लड़के व 18 वर्ष की आयु से कम की लड़की द्वारा किए गए कानूनी विरोधी कार्यो को बाल अपराध का श्रेणी में रखा गया। इस अधिनियम में उपेक्षित बालकों तथा बाल अपराधियों को दूसरे अपराधियो के साथ जेल मे रखने पर रोकलगा दी गई, उपेक्षित बालकों को बाल गृहों का अवलोकन गृहों में रखा जाएगा। उन्हें बाल कल्याण बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा जबकि बाल अपराधियों को बाल न्यायलाय के समक्ष। इस अधिनियम में राज्यों को कहा गया कि वे बाल अपराधियों के कल्याण और पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे।[11,12]

भारत में 1960 के बाल अधिनियम के तहत बाल न्यायालय स्थापित किये गये है। सन् 1960 के बाल अधिनियम का स्थान बाल न्याया अधिनियम 1986 ने ले लिया है। इस समय भारत के सभी राज्यों मे बाल न्यायालय है। बाल न्यायालय मे एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, अपराधी बालक, माता-पिता, प्रोबेशन अधिकारी, साधारण पोशक मे पुलिस, कभी-कभी वकील भी उपस्थित रहते हैं, बाल न्यायालय का वातावरण इस प्रकार का होता है कि बच्चे के मष्तिष्क में कोर्ट का आंतक दूर हो जाए, ज्यों ही कोई बालक अपराध करता है तो पहले उसे रिमाण्ड क्षेत्र में भेजा जाता है और 24 घंटे के भीतर उसे बाल न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, उसकी सुनवाई के समय उस व्यक्ति को भी बुलाया जाता है जिसके प्रति बालक ने अपराध किया। सुनवाई के बाद अपराधी बालकों को चेतवनी देकर, जुर्माना करके या माता-पिता से बॉण्ड भरवा कर उन्हें सौंप दिया जाता है अथवा उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है या किसी सुधार संस्था, मान्यता प्राप्त विद्यालय परिवीक्षा हॉस्टल में रख दिया जाता है।[13,14]

संदर्भ

1) बर्ट, सी : दि यंग डेलिंक्वेंट; 2001
2) क्रैरेसियस : जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड दि स्कूल ;1998
3) हूटन : क्राइम ऐंड दि मैन;2008
4) इस्लर : सर्चलाइट्स आन् डेलिक्वेंसी (संकलन) ;2010
5) हीली ऐंड ब्रानर : न्यू लाइट्स आन डेलिंक्वेंसी ऐंड इट्स ट्रीटमेंट;2000
6) थ्रैशर : जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड क्राइम प्रिवेंशन (लेख) ;1999
7) आइकहार्न : दि वेवर्ड यूथ ;2001

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com |

| Volume 3, Issue 3, March 2020 |

8) स्मिथ, एच0 : अवर टाउंस : ए क्लोज अप;2002
9) शा ऐंड मैकी : जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड अरबन एरियाज़;2005
10) यंग : सोशल ट्रीटमेंट इन प्रोबेशन ऐंड डेलिंक्वेंसी;2007
11) गोरिंग : दि इंग्लिश कन्विक्ट;2011
12) लांब्रासा : क्राइम्, इट्स काज़ेज ऐंड रेमेडीज़;1998
13) अपराध संबंधी भारत सरकार की रिपोर्टें;2000
14) किशोरसदन, बरेली की रिपोर्टें।2001